कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– /PF/UK/ROAD/11538/2015 :देहरादून:दिनांक: 04 जनवरी, 2016

384
19/1/16

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में खूँट–काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सिद्धपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.882 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 361/X-4-15/1(189)/2015 दिनांक 27–05–2015

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे शासन द्वारा प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 1,96,000.00 (रू0 एक लाख छियानब्बे हजार) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 5,79,474.00 (रू0 पाँच लाख उन्नासी हजार चार सौ चौहत्तर) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रदत्तं एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी का बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।**(संलग्नक–1)**
4. शर्त संख्या–4–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई एन0पी0वी0 एवं प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशियों को (RTGS) आ.टी.जी.एस. के माध्यम से भारत सरकार के स्तर पर गठित तदर्थ कैम्पा, नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया है, जिसका (UTR) यू.टी.आर नं0 SBIN 715258556100 दिनांक 14–09–2015 है। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1900 /PF/UK/ROAD/11538/2015 दिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी